न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्ड कोटकासिम अलवर

अनवान ......नरेन्द्र कुमार...... बनाम......सुमन देवी......

किस्म मुकदमा......[illegible] Act...... मु0नं0......870...... सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
07.09.2021	प्रार्थी मय वकील उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी.एक्ट के तहत पेश किया। बहस एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली एवं सलंग्न दस्तावेजात के अवलोकन व शपथ पत्र प्रार्थी से सन्तुष्ट होकर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण को आगामी पेशी दिनांक 11.10.2021 तक इस अमर से पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित हाल ख0नं0 345/0.8400 है0 दर्ज खाता 119, 111/0.5000 है0 दर्ज खाता 164 वाके ग्राम पहाडवास तह0 कोटकासिम जिला अलवर राज0 के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग आराजी वादी मे प्रतिवादिया संख्या 1 मजाहमत मदाखलत पैदा ना करे, आराजी को जोतने बोने फसल काटने समेटने मे रूकावट बाधा पैदा ना करे, विवादित आराजीयात के राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज गलत अंकन के आधार पर प्रार्थी को आराजीयात से जब्रन बेदखल ना करे, आराजीयात को रहन, बय,हिबा, लीज, इत्यादि से खुर्द बुर्द मुन्तकिल ना करे, प्रतिवादी संख्या 11 उप पंजियक उपरोक्त विवादित आराजीयात का कोई भी दस्तावेज बेयनामा आदि पंजिबद्व ना करे, राजस्व रिकोर्ड एवं मौका की यथावत स्थिति कायम रखे। जो भी उज्र हो तो असालतन वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करे। आगामी पेशी दिनांक तक रजिस्टर्ड रसीद पेशं नही करने पर यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निरस्त समझी जावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब करे। आयन्दा पत्रावली दिनांक 11.10.2021 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम	
11/10/21	बकुलाय फरीकेन उप0/श्रीमान P.O. सतब [illegible] राज कार्य में [illegible] है। आयन्दा [illegible] 20/12/21 को उनके [illegible] पेश हो।	Narendra
2/12/21	आज यह पत्रावली प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर पेश हुई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर [illegible] खारिज करा लिया है। इसलिए प्रार्थना [illegible] खारिज [illegible] जाता है। पत्रावली फैसल शुमार [illegible] हो। बाद तकमील मसलन बाद हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)	[signature]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 11:07:52 IST
Reason: SelfAttested